न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा)

वाद संख्या :– 02 / 06 / 2017

<u>कोचीराम बनाम सरकार</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 13.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 16.01.2017 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 402/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 09.03.2017 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौके पर कब्जेकाश्त की यथास्थिति बनाये रखें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। प्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित भूमि को राजकीय सिवायचक भूमि होना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से प्रथम दृष्टया प्रार्थी की खातेदारी साबित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 402/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 16.01.2017 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा)